कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1617 /11–सी– FP/UP/Road/19199/2016, लखनऊः दिनांकः फरवरी 01 ,2017

सेवा में,

प्रभागीय वनधिकारी,
फैजाबाद वन प्रभाग,
फैजाबाद।

विषयः– जनपद–फैजाबाद में फैजाबाद–इलाहाबाद रा0मा0 संख्या–330 (ओल्ड–96) के किमी. 12.600 से किमी. 12.950 तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 0.840 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 201 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद के कार्यालय का पत्रांक– 2402/14–10, दिनांक 25.01.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑन–लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु आनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।

2– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने के प्रमाण–पत्र पर प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

3– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग–2 में धनराशि त्रुटिपूर्ण अपलोड की गई है।

4– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाईल सहित आनलाईन भाग–2 में अपलोड नहीं है।

5– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र आनलाईन के भाग–2 में अपलोड नहीं है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु उस पर चयनित स्थल अंकित नहीं है तथा भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

7– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु पठनीय नहीं है।

8– आनलाईन व हार्डकॉपी के भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.55 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः 0.50 अंकित करें।

9– Eco Class-3 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है, संलग्न करें।

10– आनलाईन भाग–2, कमांक 5, 6 व 7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

01/2/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1617 /11–सी– FP/UP/Road/19199/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड(रा0मा0), लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर।

01/2/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY-927